समाचार-प्रकाशनार्थ:-

नागरिक भी सार्वजनिक स्थलों स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी निभाए
स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 के तहत का लकामाता मंदिर परिसर में आने वाले लोगों ने लया क्षेत्र को स्वच्छ और सुंदर बनाने का संकल्प

रतलाम 20 दिसम्बर । स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 के तहत रतलाम को स्वच्छता की दौड़ में नम्बर-1 बनाए जाने के प्रयासों में तेजी आ रही है। हर दिन शहर में कई स्थानों को कचरा मुक्त कया जा रहा है। इन कचरा मुक्त स्थानों पर सफाई मत्र समूह के माध्यम से आकर्षक रांगोली का निर्माण कर स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। निगम प्रशासन के इन्ही प्रयासों की कड़ी में शहर के श्रीका लका माता मंदिर परिसर को साफ और स्वच्छ रखने का संकल्प यहां आने वाले लोगों और आसपास के रहवा सयों ने लया है। इस मंदिर के आसपास का क्षेत्र पर्यटक स्थल के रुप में वक सत हो रहा है और अनेक शहरवासी यहां मार्निक वॉक के लए भी हर दिन आते है। संकल्प लेने वाले नागरिकों का कहना है क मॉर्निंग वॉक और सार्वजनिक स्थल शहर की जरुरत है ऐसे में इन्हे कचरे से मुक्त रखा जाना चाहिए।

रतलाम को प्रदेश और देश में अलग पहचान दिलाने के लए नगर पा लक निगम ने स्वच्छ रतलाम- सुंदर रतलाम अ भयान की शहर में शुरुवात करते हुए सैकड़ों स्थानों को कचरे से मुक्त कया है। इन कचरा स्थलों पर हर दिन सफाई मत्र समूह के सदस्य आकर्षक रांगोली का निर्माण कर तमाम लोगों को स्वच्छता का संदेश दे रहे है। इस मौके पर रहवा सयों और राह गयों को संकल्प दिलाया जा रहा है क मेरा योगदान**ए** मेरी शान**ए** स्वच्छ शहर मेरी पहचान है।

रतलाम शहर के सैकड़ों स्थानों पर खुले में कचरा डालने वालों को रोकने के लए नगर निगम की और से अनोखा प्रयोग कया और सैकड़ों स्थान कचरा मुक्त हुए और इन पर रांगोली के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। इसके साथ ही उन सार्वजनिक स्थानों**ए** बागीचों**ए** खेल मैदानों आदि स्थानों पर भी स्वच्छता का संदेश दिया जाकर स्वच्छता की दौड़ में रतलाम को नम्बर-1 बनाने का आव्हान लोगों से कया जा रहा है।

नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देश व स्वास्थ्य अ धकारी एपी संह ने शहरवा सयों से अपील की है क वे अपने कूड़ा केवल डोर टू डोर कूड़ा ढोने वाले वाहनों में ही डाले। खुले में कचरा डालने वालों पर नगर निगम द्वारा जुर्माने की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

नगर निगम आयुक्त सोमनाथ के निर्देशानुसार अब शहर के सार्वजनिक स्थलों पर लोगों से शहर को साफ और सुंदर बनाए रखने की अपील की जा रही है। इस दौरान र ववार को सफाई मत्र समूह की टीम ने आधा दर्जन स्थानों पर स्थित कचरा मुक्त स्थानों के साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर पर रांगोली बना कर इन क्षेत्रों के रहवा सयों को स्वच्छता की शपथ

दिला कर दीप दान कया गया है। इस दौरान को वड-19 महामारी के बढ़ते प्रकोप के देखते हुए लोगों से आव्हान कया गया क जब तक कोरोना का कारगर उपचार उपलब्ध नही हो पाता है. ऐसे में हमे मास्क का उपयोगए दो गज की दूरी और हाथों को सेनेटाईज कर अपने जीवन को बचाना चाहिए।

गंदगी व मलबा फैलाने पर 15 व्यक्तियों पर जुर्माना

सीसीटीवी फुटेज के आधार पर घांस बाजार में न्यू रतनश्री पर जुर्माना

गंदगी फैलाने वालों पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी

रतलाम 20 दिसम्बर । नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो क अपनी दुकानों एवं घरो से निकलने वाले कचरे को कचरा संग्रहण वाहन में नहीं डालते हुए यहां-वहां डालकर नगर को गंदा करते है ऐसे दुकानदार एवं नागरिकों को लगाम लगाने हेतु निगम द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गंदगी फैलाने वाले नागरिक एवं दुकानदारों पर घर व दुकानों पर जाकर गठित दल द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है।

नगर के ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो क खुले में कचरा डालकर नगर को गंदा कर रहे है ऐसे व्यक्तियों पर लगाम लगाने हेतु नगर के व भन्न स्थानों पर स्था पत सीसीटीवी कैमरों से सत्त निगरानी रखी जा रही है इस हेतु पु लस कन्ट्रोल रूम पर 3 पा लयों में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर घांस बाजार में न्यू रतनश्री पर 500 रूपये का जुर्माना कया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा गत रात्रि को चांदनी चौकए नीम चौक व माणक चौक क्षेत्र के निरीक्षण के दौरान गंदगी करने वाले कमल जैन व वनय जैन चांदनी चौक पर 2000.2000ए संदेश सोनी नीमचौकए फरोज खान चांदनी चौक पर 500.500 रूपये का जुर्माना कया गया। इसके अलावा 20 दिसम्बर र ववार को गंदगी करने पर जय भेरूनाथ रेस्टोरेंटए जय मां दुर्गेश्वरी गायत्री टॉ कज रोडए राकेश शर्माए कांतीलालए दुर्गा मष्ठान भण्डार शहीद चौकए कन्हैयालालए संजयए मोहम्मद एहसान त्रिवेणी मेला परिसरए निर्मल गरी त्रिपो लया गेट पर 500.500ए मदुरई मसाला डोसा गायत्री टॉ कज रोड पर 100 रूपये का जुर्माना कया गया।

जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए.पी. संहए झोन प्रभारी श्री करण चौहान व श्री पर्वत हाड़े आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलानेए अतिक्रमण करने पर संबं धतों के वरूद्ध जुर्माना कये जाने का अ भयान निरंतर जारी रहेगा।

नगर के व भन्न स्थानों पर अलाव जलाये

रतलाम 20 दिसम्बर। सर्द रातों में नागरिकों की सु वधा को दृष्टिगत रखते हुए नगर निगम के स्वास्थ्य वभाग द्वारा बाल च कत्सालयए जिला च कत्सालय सहित नगर के व भन्न सार्वजनिक स्थल एवं चौराहों पर गत रात्रि अलावा जलाये गये।

गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण की दी समझाईश

रतलाम 20 दिसम्बर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देशानुसार नगर के समस्त घरोंए दुकानों आदि से 100 प्रतिशत गीला एवं सूखा कचरा पृथक-पृथक संग्रहित कये जाने हेतु नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम आस्था के सदस्यों द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को स्वच्छता बनाये रखने गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक रखने की समझाईश दी जा रही है।

नगर निगम की सहयोगाी संस्था टीम डवाईन के सदस्यों द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण हेतु घरों एवं दुकानों में पृथक-पृथक कचरा पात्र रखकर पृथक-पृथक कचरा एकत्रिकरण व गीले एवं सूखे कचरे को निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालने की समझाईश दी इसके अलावा यह भी समझाईश दी साथ ही स्वच्छता की शपथ भी दिलाई।

जिनतरण जयंती पर पशु वध करनाए मटन वक्रय प्रतिबं धत रहेगा

रतलाम 20 दिसम्बर । मध्यप्रदेश शासन के आदेशानुसार आज 21 दिसम्बर सोमवार को संतश्री जिनतरण तारण जयंती पर नगर सीमा में स्थित समस्त पशु वध गृह एवं मांस वक्रय की दुकानों पर पशु वध करनाए मटनए गौशत वक्रय करना अथवा बेचना निषेध कया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने संबं धत स्वच्छता निरीक्षकों को निर्दे शत कया है क उक्त दिवस को पशु वध करते या मटन गौश्त वक्रय करते पाया जाये तो संबं धत के वरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाये।

वार्ड 34 में 41 लाख के वकास कार्यो का भू म पूजन संपन्न

वकास कार्य प्रारंभ कराने पर वधायक मा0 श्री काष्यप का माना आभार

रतलाम 20 दिसम्बर । वार्ड क्रमांक 34 की व भन्न सड़को के डामरीकरण एवं सीमेन्टीकरण कार्य का षुभारंभ मंडल अध्यक्ष श्री आदित्य डागा ने पूर्व पार्शद श्रीमती रेखा जौहरी व क्षेत्रिय नागरिकों के साथ व धवत् पूजा-अर्चना कर कया।

इस अवसर पर पूर्व पार्शद श्रीमती रेखा जौहरी ने बताया क एचडीएफसी बैंक से षीला भवन तकए मकड़ावन गलीए रिद्धी- सद्धी अपार्टमेन्ट वाला क्षेत्रए भूत बंगला क्षेत्रए राज बॉक्स वाली गली व बैंक कालोनी से लगी हुई सड़क का डामरीकरण 25 लाख की निगम नि ध व डॉ0 पाटनी के घर से महू रोड तक की सड़क का सीमेन्टीकरण 16 लाख की लागत की निगम नि ध से कया जायेगा। कार्य पुरा होने के बाद नागरिकों को आवागमन में सु वधा होगी। वार्ड में रूके हुए वकास कार्य प्रारंभ करवाये जाने पर श्रीमती रेखा जौहरी व क्षेत्रिय नागरिकों ने वधायक रतलाम षहर माननीय श्री चेतन्य जी काष्यप का आभार माना।

भू म पूजन के अवसर पर सर्वश्री अष्विन जायसवालए राकेष परमारए यषपाल मंडोराए सलीम आरिफए योगेष पापटवालए राजू व्यासए राहूल जसूजाए उमेष (नन्दी)ए मुबारिक षैरानीए व पन पोरवालए र व जौहरी आदि उपस्थित थे।

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदरों को रखना होंगे 4 डस्टबीन
खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालो पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी
अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रतलाम 20 दिसम्बर । नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो क अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अप शष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 डस्टबीन नहीं रख रहे है व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्रीए फल-सब्जी के छिलकेए घांस व पेड़ की पत्तियांए राखए चाय पत्तीए बचा हुआ खाना आदि के लये हरा डस्टबीनए सूखा कचरा अर्थात पुस्टाए अखबारए लोहाए कपड़ाए शालए कांचए पै कंग मटेरियलए टुटे खलौनेए प्लास्टिक आदि के लये नीला डस्टबीनए घरेलू हानिकार कचरे के लये पेन्ट के डब्बेए पेस्टीसाइड के डब्बेए सीएफएलए ट्यूबलाईटए थर्मामीटरए बैटरी आदि के लये काला डस्टबीन तथा मे डकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीनए डायपरए सुईए संरिजए मास्कए ग्लब्सए पीपीई कीट आदि के लये पीला डस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिश्ठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालो उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के व भन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबं धत के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000.5000 हजार का जुर्माना करेगी।

चौमुखी पुल पर आज से लगेगा निगम का बकाया वसूली श वर
बकाया रा श जमा कर अ धभार (पेनल्टी) में छूट प्राप्त करें
नागरिकों ने 46ए22ए854६. संपत्तिकर व 14ए65ए775६. जलकर जमा कराया
संपत्तिकर व जलकर की बकाया रा श जमा कराने में नागरिक दिखा रहे हैं उत्साह

रतलाम 20 दिसम्बर । षासन निर्देषानुसार नोवेल कोरोना वायरस (को वड-19द्ध वैष्विक महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण प्रायः रोजगार में कमीए उद्योग-धन्धे में गरावटए स र्वस सेक्टर आदि में ष थलता परिल क्षत होने के फलस्वरूप निगम से संबं धत

करोंए उपभोक्ता प्रभार आदि की बकाया रा ष एक मुष्त जमा कराने पर अ धभार (पेनल्टी) में 31 दिसम्बर 2020 तक छूट दी जा रही है। इस हेतु नगर निगम द्वारा नागरिकों की सु वधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों की बकाया रा ष जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली ष वर 26 अक्टूबर से आयोजित कये गये है जो 30 दिसम्बर तक चलेंगे।

आयोजित ष वरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरए जलकरए दुकानए गुमटी करायाए लायसेंस षुल्क एवं वकास षाखा से संबं धत भवन की कष्त तथा भू-भाटक की बकाया रा ष एक मुष्त रा ष जमा कर दी जा रही अ धभार में छूट का लाभ ले सकते है।

निगम द्वारा आयोजित ष वरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर ष वर में संपत्तिकर 2ए38ए224६. व जलकर 43ए460६.ए मालवा नगर ष वर में संपत्तिकर 3ए66ए429६. व जलकर 43ए830६.ए जवाहर नगर अम्बे माता मंदिर के पास ष वर में संपत्तिकर 2ए69ए336६. व जलकर 41ए850६.ए वनोबा नगर पानी की टंकी के पास ष वर में संपत्तिकर 3ए94ए652६. व जलकर 1ए06ए050६.ए अलकापुरी कम्युनिटी हॉल के पास ष वर में संपत्तिकर 4ए54ए616६. व जलकर 84ए000६.ए तिरूपति नगर में ष वर में संपत्तिकर 55ए700६. व जलकर 14ए800६.ए कोमल नगर ष वर में संपत्तिकर 65ए133६. व जलकर 18ए430६.ए इन्द्रलोक नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए04ए310६. व जलकर 37ए520६.ए कस्तुरबा नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए63ए070६. व जलकर 41ए200६.ए प्रयदर्षनी नगर ष वर में संपत्तिकर 54ए244६. व जलकर 31ए700६.ए डोंगरे नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए87ए800६. व जलकर 13ए500६.ए हाट रोड माताजी मंदिर के पास ष वर में संपत्तिकर 89ए439६. व जलकर 29ए500६.ए डॉ0 मेहरा न र्संग होम काटजू नगर ष वर में संपत्तिकर 2ए23ए843६. व जलकर 80ए000६.ए वेदव्यास कालोनी ष वर में संपत्तिकर 78ए232६. व जलकर 24ए800६.ए दीनदयाल नगर ष वर में संपत्तिकर 95ए424६. व जलकर 46ए350६.ए बोहरा बाखल ष वर में संपत्तिकर 2ए61ए000६. व जलकर 45ए500६.ए लक्कड़पीठा ष वर में संपत्तिकर 2ए58ए000६. व जलकर 90ए310६.ए धानमण्डी ष वर में संपत्तिकर 2ए39ए000६. व जलकर 1ए58ए845६.ए आनन्द कालोनी ष वर में संपत्तिकर 94ए633६. व जलकर 24ए500६.ए प्रताप नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए31ए093६. व जलकर 68ए580६.ए महावीर नगर ष वर में जलकर 45ए550६.ए पैलेस रोड ष वर में संपत्तिकर 5ए91ए492६. व जलकर 1ए31ए930६.ए चौगानिया भेरू मंदिर ष वर में संपत्तिकर 1ए71ए109६. व जलकर 1ए26ए280६.ए सायर चबुतरा षक्षा वभाग के पास आयोजित ष वर में संपत्तिकर 1ए55ए000६. व जलकर 1ए24ए290६. की एक मुष्त बकाया रा ष जमा कराकर दी जा रही अ धभार में छूट का लाभ लया। इस तरह नागरिकांेंं ने अब तक आयोजित ष वरों मेंेंं 46ए22ए854६. संपत्तिकर व 14ए65ए775६. जलकर की रा ष जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित कये गये वसूली ष वरो के तहत वार्ड क्रमांक 43 व 45 के लये 21 से 22 दिसम्बर को चौमुखी पुल प्याऊ के पासए वार्ड क्रमांक 33ए 34 व 35 के लये 23 से 24 दिसम्बर को षास्त्री नगर सेन्ट्रल बैंक के पासए वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लये 26 व 28 दिसम्बर को दो बत्ती चौराहा व वार्ड क्रमांक 30ए 31ए 32 व 34 के लये 29 से 30 दिसम्बर को स्टेषन रोड दिल बहार चौराहा पर कार्यालयीन समय में ष वर आयोजित कये गये है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया क षासन द्वारा निगम से संबं धत करों की एक मुष्त रा ष जमा कराने पर दी जा रही अ धभार में छूट का लाभ नागरिक अ धक से अ धक ले सकें इस हेतु वार्ड वार ष वर कार्यालयीन समय में लगाये जा रहे हैं। नागरिक अपने वार्ड में लगाये जा रहे ष वर में उपस्थित होकर बकाया करो की एक मुष्त रा ष जमा कर दी जा रही अ धभार में छूट का लाभ सकते है।

कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया क संपत्तिकर तथा अ धभार की रा ष रूपये 50ए000६. ;रूपये पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अ धभार में 100 प्रतिशत की छूटए संपत्तिकर तथा अ धभार की रा ष रूपये 50ए000६. ;रूपये पचास हजार) से अ धक तथा रूपये 1ए00ए000६. ;रूपये एक लाख) तक बकाया होने पर मात्र अ धभार में 50 प्रतिषत की छूट व संपत्तिकर तथा अ धभार की रा ष रूपये 1ए00ए000६. ;रूपये एक लाख) से अ धक बकाया होने पर मात्र अ धभार में 25 प्रतिषत की छूट दी जा रही है।

इसके अलावा जलकर अ धभार की रा ष रूपये 10ए000६. ;रूपये दस हजार) तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत की छूटए जलकर तथा अ धभार की रा ष रूपये 10ए000६. ;दस हजार) से अ धक तथा रूपये 50ए000६. ;पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अ धभार में 75 प्रतिषत की छूटए जलकर तथा अ धभार की रा ष रूपये 50ए000६. ;पचास हजार) से अ धक बकाया होने पर मात्र अ धभार में 50 प्रतिषत की छूट दी जा रही है।

इसी तरह नगरीय निकायों द्वारा चयन की गई परिसंपत्तियों के भूभाटक/कराये की अ धभार सहित कुल देय रा ष रूपये 20ए000६. ;बीस हजार) तक बकाया होने पर मात्र अ धभार में 100 प्रतिषत की छूटए अ धभार सहित कुल देय रा ष रूपये 20ए000६. ;बीस हजार) से 50ए000६. ;पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अ धभार में 50 प्रतिषत की छूट तथा अ धभार सहित कुल देय रा ष रूपये 50ए000६. ;पचास हजार) से अ धक बकाया होने पर मात्र अ धभार में 25 प्रतिषत की छूट दी जा रही है। उक्त छूट मात्र अ धभार पर लागू होगी तथा ब्याजए स्टॉप ड्यूटीए मूल करए मूल उपभोक्ता प्रभार अथवा मूल भूभाटक/कराये पर लागू नहीं होगी।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से अपील की जाती है क संपत्तिकरए जलकर व नगरीय निकायों द्वारा चयन की गई परिसंपत्तियों के भूभाटक/कराये की बकाया रा ष वार्डवार आयोजित बकाया ष वर व कार्यालय में जमा कर उक्तानुसार छूट प्राप्त करें।

समाचार/ज.सं. व./हेमन्त/**20ण12ण2020**ध्न.पा.निगम**ए** रतलाम.